भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 471**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक में हाल ही में किए गए बदलाव**

**471. श्री रीताब्रता बनर्जीः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मौजूदा पारिश्रमिक ढांचे का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये कार्यकर्ता पारिश्रमिक और अन्य लाभों में व्यापक बदलाव करने की मांग करते रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक में बदलाव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है कि संशोधित पारिश्रमिक पर्याप्त है या नहीं?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) : आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, लघु आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं का वर्तमान पारिश्रमिक क्रमश: 4500/-रुपये, 3500/-रुपये और 2250/-रुपये प्रतिमाह है; और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 01 अक्‍तूबर, 2018 से 250/-रुपये प्रतिमाह का निष्‍पादन संबद्ध प्रोत्‍साहन प्रदान किया जाता है । आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अपने बजट से संबंधित राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्‍त मानदेय का ब्‍यौरा संलग्‍न है ।

(ख) (ग) और (घ) : आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां तथा आंगनवाड़ी सहायिकाएं अपने पारिश्रमिक में काफी परिवर्तन तथा अन्‍य मांगों अर्थात उनकी सेवाओं को नियमित करना, कैरियर प्रगति, उपदान एवं पेंशन का भुगतान आदि के लिए समय-समय पर मांग करती रही हैं ।

 बढ़े हुए पारिश्रमिक उपर्युक्‍त पैरा (क) में दिए गए हैं । जहां तक उनकी सेवाओं को नियमित करने, उपदान एवं पेंशन के भुगतान का संबंध है, चूंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां/आंगनवाड़ी सहायिकाएं अवैतनिक कार्यकर्त्री हैं इसलिए इनको सरकारी कर्मचारी/नियमित कर्मचारी के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है या सरकारी कर्मचारियों को ग्राह्य लाभ प्रदान नहीं किए जा सकते हैं । इसके अलावा, भारत के उच्‍चतम न्‍यायालय ने भी 1998 की सिविल अपील संख्‍या 4953-4957, कर्नाटक राज्‍य एवं अन्‍य बनाम अमीर बी एवं अन्‍य ने 7.12.2006 के अपने निर्णय में कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां/आंगनवाड़ी सहायिकाएं किसी सिविल पद की धारक नहीं हैं । जहां तक कैरियर प्रगति का संबंध है, पर्यवेक्षक के 50% तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के 25% पद क्रमश: आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं ।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक**

**'आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक में हाल ही में किए गए बदलाव' विषय पर श्री रीताब्रता बनर्जी द्वारा दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 471 के उत्‍तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्‍नक**

**राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा अपने स्‍वयं के संसाधनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भुगतान किए गए अतिरिक्‍त मासिक मानदेय को दर्शाने वाला विवरण**

**(30.06.2018 तक)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क.सं.** | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र** | **राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किया गया अतिरिक्‍त मानदेय (रुपये में)** |
| **आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री**  | **आंगनवाड़ी सहायिका** |
|  | अंडमान और निकोबार | 3000 | 2500 |
|  | आंध्र प्रदेश | 1200 | 700 |
|  | अरुणाचल प्रदेश | शून्‍य | शून्‍य |
|  | असम | 2000 | 1000 |
|  | बिहार | 750 | 375 |
|  | चंडीगढ़ | 2000 | 1000 |
|  | छत्तीसगढ़ | 2000 | 1000 |
|  | दादरा नगर हवेली | 1000 | 600 |
|  | दमन और दीव | 1000 | 600 |
|  | दिल्ली | 6678 | 3339 |
|  | गोवा | 3062-11937\* | 3000-6000\* |
|  | गुजरात | 3300 | 1700 |
|  | हरियाणा | 7286-8429\* | 4215 |
|  | हिमाचल प्रदेश | 1750 | 900 |
|  | जम्मू-कश्मीर | 600 | 340 |
|  | झारखंड | 1400 | 700 |
|  | कर्नाटक | 5000 | 2500 |
|  | केरल | 2000 | 2000 |
|  | लक्षद्वीप | 3000 | 2000 |
|  | मध्य प्रदेश | 7000 | 3500 |
|  | महाराष्ट्र | 2000 | 1000 |
|  | मणिपुर | 100 | 50 |
|  | मेघालय | शून्‍य | शून्‍य |
|  | ओडिशा | 1000 | 500 |
|  | पुद्दुचेरी | 600 | 300 |
|  | पंजाब | 2600 | 1300 |
|  | राजस्थान | 1724-1736\* | 1065 |
|  | सिक्किम | 2225 | 1500 |
|  | उत्तराखंड | 3000 | 1500 |
|  | पश्चिम बंगाल | 1300 | 1300 |
|  | उत्तर प्रदेश | 1000 | 500 |
|  | नागालैंड | **शून्‍य** | **शून्‍य** |
|  | मिजोरम | 294-306\* | 150 |
|  | तमिलनाडु | 6750 (इसमें वेतन शामिल है-2500, ग्रेड पे-500, और डीए-3750) | 4275 ( इसमें वेतन शामिल है -1500, ग्रेड पे-400, और डीए -2375) |
|  | तेलंगाना | 10500 | 6000 |
|  | त्रिपुरा | 2865 | 1924 |

**\*योग्यता और/या सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर**

**\*\*\*\*\*\***